FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

मक्खन खां बनाम सरकार मेली वगैरा

किस्म मुकदमा 88,188,209 RT act नं. 161/19 सन

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.09.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपतसिंह एड. ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22.10.19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
22/10/19	वादी वकील उपस्थित/ प्रतिपक्षीगणों के सम्मन तामिल अदम तामिल अप्राप्त/ इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 27/11/19 को पेश हो/ [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
27/11/19	वादी वकील उपस्थित/ प्रतिपक्षीगणों के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं। अतः मिशल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 24/12/19 को पेश हो/ [signature]	
24/12/19	वादी वकील उपस्थित/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं। अतः मिशल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 07/01/2020 को पेश हो/ [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:42:15 IS
Reason: SelfAttested

07/01/2020

वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादी संख्या-3 बावजूद तामिल अनुपस्थित / न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या-3 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या-1 की तरफ से वकील श्री खेतराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में सहमती जाहिर की गई वादी वकील द्वारा वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-2 PW-1- जानू खाँ पुत्र श्री सुलेमान खाँ जातियान-मुसलमान निवासी-भगोणियों की ढाणी (माडपुरा बरवाला) तहसील-बायतु, स्वतंत्रगवाह PW-2- हनुमानराम पुत्र श्री खेयाराम जाति-जाट निवासी-भगोणियों की ढाणी तहसील-बायतु व PW-3- सोनाराम पुत्र श्री मोहराम जाति-जाट निवासी-बायतु पनजी तहसील-बायतु एवं प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1- प्रतिवादी संख्या-1 बरकत अली पुत्र मोहम्मद अली जाति-मुसलमान निवासी- भगोणियों की ढाणी (माडपुरा बरवाला) तहसील- बायतु जिला-बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण एवम प्रतिवादी संख्या-1 की संयुक्त पैतृक कब्जा काश्त की कृषि भूमि मौजा-भगोणियों की ढाणी पटवार हलका माडपुरा बरवाला तहसील-बायतु में खेत खसरा नम्बर 186 रकबा-0.12 बीघा, खसरा नम्बर-187 रकबा-0.10 बीघा किस्म-गै० मु०, खसरा नम्बर-189 रकबा-213.09 बीघा, खसरा नम्बर-198 रकबा-46.04 बीघा, आई हुई है। जो भूमि वक्त सेटलमेन्ट वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 के पिताजी सुलेमान खाँ व मलीर खाँ पुत्र इसे खाँ के

अ.नि. बरकत अली
मरदारखान
अ.नि. हनुमान
सोनाराम
(नरपत ...)

सहायक ... /ग्राम न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:42:15 IST
Reason: SelfAttested

ख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संयुक्त नाम से बाहिस्सा बराबर-बराबर राजस्व रेकर्ड में अंकित की गई थी समस्त वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 के पिताजी सुलेमान पुत्र लतीफ खाँ के नाम से तथा 1/2 हिस्सा मलीर खाँ पुत्र इसे खाँ के नाम से वक्त सेटलमेन्ट राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई थी तथा बाद में मलीर खाँ का स्वर्गवास होने पर उनके 1/2 हिस्से की जमीन मलीर खाँ के पुत्र मोहम्मद अली के नाम से जरिये फौती नामान्तरकरण के दर्ज की गई तथा मोहम्मद अली के ला-औलाद फौत होने पर मोहम्मद अली के 1/2 हिस्से की जमीन मोहम्मद अली के समस्त नजदीक वारिसान के नाम से दर्ज की जानी थी लेकिन मोहम्मद अली के स्वर्गवास के बाद उनके 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण जमीन उनके समस्त नजदीक वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 के नाम से दर्ज नहीं की जाकर केवल मात्र प्रतिवादी संख्या-1 अकेले के नाम से दर्ज कर दी जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या-1 ने वादीगण को कभी नहीं होने दी। हाल ही में वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 के पिताजी सुलेमान खाँ का स्वर्गवास दिनांक 30/01/19 को होने पर जब सुलेमान खाँ की फौती का नामान्तरकरण भरवाने हेतु हल्का पटवारी से मिलकर चाल जोही करनी प्रारम्भ की तब जानकारी मिली। वादग्रस्त आराजी में मोहम्मद अली की फौती के बाद भरे गये नामान्तरकरण संख्या-124 में मोहम्मद अली के समस्त नजदीकी वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 के नाम से नामान्तरकरण नहीं भरा गया है तथा प्रतिवादी संख्या-1 ने वादीगण के हिस्से की जमीन को हड़प करने की नियत से मोहम्मद अली के 1/2 हिस्से की जमीन का नामान्तरकरण चाल-बाजी तरीके से केवल अपने अकेले के नाम से भरवाकर स्वीकृत करवा लिया जबकि वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 के पिताजी सुलेमान [illegible] चाचाजी मलीर खाँ की संयुक्त खातेदारी की [illegible]	

सहायक कलक्टर जायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:42:15 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तथा मलीर खाँ के एकमात्र जायज पुत्र मोहम्मद अली के ला-औलाद फौत होने के कारण मोहम्मद अली के 1/2 हिस्से की जमीन भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में अंकित की जानी थी लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को नुकसान पहुँचाने की नियत से अकेले अपने नाम से दर्ज करवा दी। इसलिये वादीगण वादग्रस्त आराजी में से मोहम्मद अली पुत्र मलीर खाँ के 1/2 हिस्से की जमीन में से वादीगण संख्या-1 से 3 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/4 हिस्सा खातेदारी में मालिक खातेदारी सजरा के बनता है जो वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 का मौके पर अपने-अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 वादी के कब्जे काश्त में करीब अर्सा एक माह से दखल देते आ रहे है एवं काश्त में रुकावटे पैदा करना प्रारम्भ कर दिया है एवं वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करने और वादग्रस्त आराजी का बिना बंटवारा करवाये ही किन्ही अन्य को बेचान व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने की धमकियां दे रहा है इसलिए वादीगणों को यह वाद घोषणा का लाना पड़ा।

हमने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड तथा वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में पेश की साक्ष्य एवम् प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा व प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्र DW-1 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन व इकबालिया जवाबदावा के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 का समान हक हिस्सा बनना प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया विवादित आराजी मौजा-अगोणियों [illegible] हल्का-माडपुरा बरवाला तहसील-बायतु जिला-ब[illegible]

सहायक कलक्टर [illegible]
बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:42:15 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में खेत खसरा नम्बर- 186 रकबा- 0.12 बीघा खसरा नम्बर- 187 रकबा- 0.10 बीघा किता जे०मु० खसरा नम्बर- 189 रकबा- 213.09 बीघा, खसरा नम्बर 198 रकबा- 46.04 बीघा में मोहम्मद अली पुत्र मलीर खाँ के 1/2 हिस्सा में वादीगण संख्या- 1 से 3 प्रत्येक को 1/4-1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या- 1 को 1/4 हिस्सा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नायब तहसीलदार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। [signature] 11/2020 उपखण्ड अधिकारी (SDO) नागौर	
11/02/2020	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते पत्रावली तलब करने बाबत व प्रार्थना-पत्र वास्ते अंतिम डिग्री के संशोधन करने बाबत का प्रस्तुत किया गया। वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब की गई। वादी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त मनवान में अंतिम डिग्री पर्चा जारी करते समय वक्त सेटलमेन्ट के खसरे दर्शाये गये व वर्तमान खसरों को मिलान कर डिग्री पर्चा में नहीं लिखा गया तथा साथ ही मोहम्मद अली पुत्र मलीर खाँ के 1/2 हिस्से में वर्तमान खातेदार बरकत अली का नाम नहीं लिखा गया था लिहाजा संशोधित डिग्री पर्चा जारी कर वर्तमान खसरे व मोहम्मद अली पुत्र मलीर खाँ के 1/2 हिस्से में वर्तमान खातेदार बरकत अली का नाम लिखा जावे। अतः वादी वकील के निवेदन पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:42:15 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र वास्ते संशोधित डिग्री पर्चा जारी करने बाबत को स्वीकार किया जाकर मौजा-भगोतियों की ढाणी पटवार मण्डल- माडपुरा बरवाला तहसील-बायतु में वर्तमान खसरा नम्बर-186 रकबा-0.12 बीघा, खसरा नम्बर-187 रकबा-0.10 बीघा खसरा नम्बर-643/189 रकबा-207.11 बीघा, ख.नं. 668/198 रकबा-45.00 बीघा भूमि के मोहम्मद अली पुत्र मलीर खाँ के 1/2 हिस्से की भूमि में वर्तमान खातेदार बरकत अली के 1/2 हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण संख्या-1 से 3 प्रत्येक को 1/4-1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या-1 को 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। संशोधित डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 11.2.2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

डिक्री

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:42:15 IST
Reason: SelfAttested

संशोधित

Jud/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मौ विवेक व्यास R.A.S. मुकाम बायतु

...स मखन खाँ बनाम बरकत अली वगैरा

बाबत 161/19

मुकदमा नं. .... सन् 2019

यह मुकदमा आज इनफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री नरपत प्रसाद एड० मिनजानिब मुदई व —

— मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा-अगोनियों की ढाणी पटवार मण्डल-माडपुरा बरवाला तहसील-बायतु में वर्तमान खसरा नम्बर-186 रकबा-0.12 बीघा, खसरा नम्बर-187 रकबा-0.10 बीघा खसरा नम्बर-643/189 रकबा-207.91 बीघा, व खसरा नम्बर-660/198 रकबा-45.00 बीघा भूमि में मोहम्मद अली पुत्र मलीर खाँ के 1/2 हिस्से की भूमि के वर्तमान खातेदार बरकत अली के 1/2 हिस्से की भूमि में वादीगण संख्या-1 से 3 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या-1 का 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार तहसीलदार बायतु राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

कौम............ मुबलिग............ बाबत............

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख बसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 02 2020 को जारी की गई।

दस्तखत विवेक व्यास

मुहर

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत इजराल हुकमनामा			बाबत इजराज हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजाना		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:42:15 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1. मख्खन खाँ पुत्र सुलेमान खाँ
2. जानू खाँ पुत्र सुलेमान खाँ
3. उर्स खाँ पुत्र सुलेमान खाँ
जातियान - मुसलमान निवासीयान - अगोणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर

1. बरकत अली पुत्र ...
कुदरती पुत्र सुलेमान ...
जाति - मुसलमान
निवासी - अगोणियों की ढाणी (माडपुरा बरवाला)
तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु
3. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक शाखा बायतु

[signature] 11.2.2020

सहायक ... बायतु

सेवामें, श्रीमा...

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:42:15 IST
Reason: SelfAttested

Jud/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. श्री विवेक व्यास R.A.S. .... मुकाम बायतु

मखन खाँ .... बनाम बरकत अली वगैरा

बाबत राज.का. 88/188/209 R.T.Act

मुकदमा नं. 161/19 .... सन् 2019

यह मुकदमा आज इनफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री नरपत सिंह एड० .... मिनजानिब मुदई व —

श्री खेताराम जाखड़ एड० .... मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित अराजी मौजा- भाटीयों की ढाणी पटवार हल्का माडपुरा बरवाला तहसील- बायतु में खेत खसरा नम्बर- 186 रकबा- 0.12 बीघा, खसरा नम्बर- 187 रकबा- 0.10 बीघा किस्म गै०मु०, खसरा नम्बर- 189 रकबा- 213.09 बीघा, खसरा नम्बर- 198 रकबा- 46.04 बीघा भूमि में मोहम्मद अली पुत्र मलीर खाँ के 1/2 हिस्सा में वादीगण संख्या- 1 से 3 प्रत्येक को 1/4-1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या- 1 को 1/4 हिस्सा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार तहसीलदार बायतु राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

कौम .... मुबलिंग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख बसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 01 20 20 को जारी की गई।

दस्तखत विवेक व्यास
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

ओहदा ....

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराल हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराज हुकमनामा मुतफरिक		
			मीजाना		
मीजान					

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं लिखा जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:42:15 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1. मखन खाँ पुत्र सुलेमान खाँ
2. जानू खाँ पुत्र सुलेमान खाँ
3. उमर खाँ पुत्र सुलेमान खाँ
जातियान- मुसलमान निवासीयान-
भगोंभियों की बस्ती माड़पुरा बरवाला
तहसील- बायतु जिला-बाड़मेर

1. बरकत अली पुत्र मो...
जाति - मुसलमान
निवासी- भगोंभियों की बस्ती
(माडपुरा बरवाला)
तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर
2. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बायतु
3. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक
ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक शाखा बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

.../11/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:42:15 IST
Reason: SelfAttested